थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तों से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध जुआ व सट्टा जैसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 राजेश कुमार शर्मा द्वारा 05 नफर अभियुक्तगण 1.योगेश अहिरवार पुत्र छिद्दी अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष 2.अनिल तिवारी उर्फ अशोक पुत्र रूपचन्द्र 3.बबलू अहिरवार उर्फ प्रदीप पुत्र शिवराम वर्मा 4.सुनील अहिरवार पुत्र गनपत अहिरवार 5.राकेश अहिरवार पुत्र बृजलाल अहिरवार को ग्राम सूपा से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर मालफड़ 2,000/- रु0, 52 अदद ताश पत्ता व जामा तलाशी 1,270/- रु0 बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना चरखारी में मु.अ.सं. 64/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजेश कुमार 2. हे.का.संदीप कुमार 3. हे.का.अजीत कुमार 4. का.गौरव बरसैया थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.योगेश अहिरवार पुत्र छिद्दी अहिरवार नि0खंदिया मुहाल चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 22 वर्ष
2.अनिल तिवारी उर्फ अशोक पुत्र श्री रूपचन्द्र नि0 गुरुदेवन अथाई मोहल्ला ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा
3.बबलू अहिरवार उर्फ प्रदीप पुत्र शिवराम वर्मा नि0मो0 खलवाई ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा
4.सुनील अहिरवार पुत्र गनपत अहिरवार नि0 हरिजन बस्ती निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा
5.राकेश अहिरवार पुत्र बृजलाल अहिरवार नि0 खलवाई मोहाल ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध जुआ व सट्टा जैसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 26.03.2024 श्री अर्जुन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर जनपद महोबा द्वारा गठित की गयी टीम के व0उ0नि0कन्हैयालाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त देवसिंह राजपूत पुत्र हनुमत सिंह राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी लोधी खोडा अंश भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम लोधी खोडा अंश भण्डरा नहर पुलिस के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया , गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु.अ.सं. 65/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0कन्हैयालाल 2. हे0का0 जगवीर 3.का0 विजयप्रताप सिंह 4.का0 शीलू यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. देवसिंह राजपूत पुत्र हनुमत सिंह राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी लोधी खोडा अंश भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी-

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में होली पर्व के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस अधि./कर्म. महत्वपूर्ण स्थलों में रहे भ्रमणशील, आमजनता से संवाद कर क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था का लिया गया जायजा।

आज दिनांक 26.03.2024 को जनपद महोबा में परम्परानुरुप होली का रंगोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, होली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के अधि./कर्म. अपने-अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलो मे भ्रमणशील हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में भ्रमण के दौरान यातायात/सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया गया, भीड़-भाड/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र मे पैदल गश्त कर स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर भयमुक्त माहौल प्रदान किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा होली पर्व, रमजान माह तथा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खुफिया तंत्र और अधिक सक्रिय करते हुए प्रत्येक छोटी सी छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुये अराजक तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर आकस्मिक चेकिंग करके अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सभी संवेदनशील स्थानों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गों एवं हॉट स्पाट्स पर पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुये होली पर्व, रमजान माह के दौरान क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक ने होली पर्व के दौरान सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सतर्कता से लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये हैं।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम् द्वारा म0प्र0 राज्य के सीमा से सटे पठा बैरियर चेक/इन्ट्री प्वाइंट में पहुंचकर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान म0प्र0 सीमा के समीप सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस बल को होली पर्व एवं आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ब्रीफ किया गया व सतर्कता के साथ ड्यूटी किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना खन्ना के विभिन्न संवेदनशील स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 26.03.2024 को थाना खन्ना पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल के साथ थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे म0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब के विरुद्ध की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही के क्रम में थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीम ने की बड़ी कार्यवाही।

90 अदद क्वार्टर देशी व 45 लीटर कच्ची अवैध शराब सहित 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन **2024** को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा ताबडतोड कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण,बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री भास्कर मिश्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों द्वारा निम्नवत कार्यवाही की गयी।

• उ0नि0 सुरेश कुमार यादव द्वारा 01 नफर अभियुक्त हेमन्त कुशवाहा पुत्र भजनलाल कुशवाहा उम्र 19 वर्ष निवासी मु0 मस्तयाना जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को बेलाताल स्टेशन पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 45 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड ब्लू फ्लैग ब्राण्ड नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 109/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

• उ0नि0 दिनेश सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्ता सोनम पत्नी जितेन्द्र कबूतरा उम्र 30 वर्ष निवासिनी कबूतरा डेरा चुरारी थाना कुलपहाड जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता उपरोक्त के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

• उ0नि0 विकास तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त विशाल खंगार पुत्र स्व. सुभाष खंगार निवासी मु0 हटवारा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 45 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्राण्ड ब्लू फ्लैग ब्राण्ड नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 112/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

• उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह द्वारा 01 नफर अभियुक्ता अनूपा पत्नी सूरज कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गोरा तालाब के पास कबूतरा डेरा बहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड जनपद महोबा को आई0टी0आई कालेज बेलाताल पुलिस से हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता उपरोक्त के कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 113/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।